भारत सरकार	लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अतारांकित प्रश्न सं. 3545
वाणिज्य विभाग	

दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

इस्पात आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाना

3545. **एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयातित इस्पात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने पर विचार कर रही है ताकि घरेलू उत्पादकों को सस्ते और राजसहायता प्राप्त विदेशी इस्पात के बड़े पैमाने पर आयात से बचाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है: और

(ख) उन मानदण्डों और आधारों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत विशेषकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और इसके मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में पाटन रोधी शुल्क लगाए जाते हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): i. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग से संबद्ध कार्यालय, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), घरेलू उद्योग (डीआई) द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित उन आवेदनों जिनमें देश में माल की डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया गया हो, के आधार पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विभिन्न जांचें (एंटी-डंपिंग/रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध)/काउंटरवेलिंग) करता है।

ii. डीजीटीआर में प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन की जांच करता है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार आयातकों, निर्यातकों और अन्य इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करता है। इस जांच के आधार पर, डीजीटीआर में प्राधिकारी एंटी-डंपिंग या एंटी-सब्सिडी शुल्क लगाने के संबंध में अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय के विचारार्थ भेजता है।

iii. डीजीटीआर ने **वियतनाम (एफ.सं.-6/15/2024-डीजीटीआर)** में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले **"मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों"** और **चीन पीआर** (एफ.सं.-6/32/2024-डीजीटीआर) में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले **"कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील"** के आयात के संबंध में दो (2) एंटी-डंपिंग जांचें शुरू की हैं। जांच नियमों में दी गई समय-सीमा के अनुसार की जा रही है।

iv. इसके अलावा, भारतीय इस्पात संघ द्वारा 11.12.2024 को डीजीटीआर के समक्ष **" गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात के फ्लैट उत्पादों"** के आयात पर सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

(ख) : भारत में एंटी-डंपिंग जांचें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 के कानूनी ढांचे के अंतर्गत की जाती हैं।

*****